यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण **अधिकारी अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण **अधिकारी अल्मोड़ा** के माह 06/2017 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री **दीपक मालवीय एवं श्री भानु प्रताप सिंह** , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 21.06.2018 से 28.06.2018 तक श्री **ए सी कटियार, वरि0** लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, **श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक** द्वारा दिनांक 08.06.2017 से 16.06.2017 तक श्री राजबहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2014 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2017 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः समाज कल्याण विभाग की समस्त योजनाओ के कार्यकलापों का कार्य तथा इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त जनपद पिथौरागढ़ है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य
	स्थापना रु.	गैर स्थापना रु.	आवंटन रु.	व्यय रु.	बचत/आधिक्य	आवंटन रु.	व्यय रु.	
2015-16	0.00	1335.45	140.91	129.83	11.08	4779.99	4715.24	64.75
2016-17	0.00	0.00	136.15	125.56	10.60	6875.74	6351.38	524.36
2017-18	0.00	0.00	159.65	150.99	8.67	7148.54	7114.61	33.93

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा में विगत तीन वर्ष केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है–

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय
2015–16	राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन	–	496.44	496.44
2015–16	राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	–	08.38	08.38
2015–16	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	–	57.80	57.80
2015–16	अनुसूचित जाति कक्षा 9–10एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति	–	30.01	30.01
2015–16	अनुसूचित जनजाति कक्षा 9–10 एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति	–	16.11	16.11
2015–16	पिछडी जाति दशमोत्तर	–	27.18	26.73

	छात्रवृत्ति			
2016–17	राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन	–	713.03	713.03
2016–17	राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	–	11.83	11.83
2016–17	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	–	24.20	24.20
2016–17	अनुसूचित जाति कक्षा 9–10एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति	–	263.14	200.25
2016–17	अनुसूचित जनजाति कक्षा 9–10 एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति	–	–	–
2016–17	पिछडी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	–	68.29	5.17
2017–18	राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन	–	1015.77	1015.75
2017–18	राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	–	8.03	7.99
2017–18	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	–	19.80	19.80
2017–18	अनुसूचित जाति कक्षा 9–10एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति	–	125.45	124.75
2017–18	अनुसूचित जनजाति कक्षा 9–10 एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति	–	19.35	16.91
2017–18	पिछडी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	–	22.96	22.94

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः- निदेशक⟶ **जिला** समाज कल्याण अधिकारी ⟶ **अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी**→ **प्रधान सहायक**

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।, **गौरा देवी योजना**, **विकलांग पेंशन योजना**, **विधवा पेंशन योजना**, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देवी कन्याधन योजना आदि का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनांतर्गत किये गये अधिकतम व्यय आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-01- रु. 204.10 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित कर अनियमित रूप से कार्यालय स्तर पर 12 बैंक खातों में अवरुद्ध रखे जाने के संबंध में।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-5 के प्रस्तर 162 के प्रावधानों के अनुसार कोषागार से उतनी ही धनराशि आहरित की जानी चाहिए जितनी धनराशि की व्यय हेतु तुरंत आवश्यकता हो, बजट व्यपगत (Lapsed) होने से बचाने हेतु कोषागार से आहरित कर बैंक खाते में जमा रखा जाना सर्वथा प्रतिबंधित है।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय, समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा स्तर पर सात बैंक खाते अनियमित रूप से संचालित करते हुए विभिन्न योजनाओं से संबन्धित ` 204.10 लाख की धनराशि (संलग्न विवरणानुसार) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत (Lapsed) होने से बचाने हेतु कोषागार से आहरित कर उक्त बैंक खातों में संप्रेक्षा तिथि (जून 2018) तक अवरुद्ध रखी गयी थी।यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अवरुद्ध धनराशि को इकाई स्तर पर संबन्धित अभिलेखों में व्ययित (Expended) भी दिखाई जा रही थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा सात बैंक खाते खोले जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि पी. एल. ए. न होने के कारण जन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु पूर्व से खाते खोले गए हैं तथा शासन स्तर से बजट वित्तीय वर्ष के अंत में अवमुक्त किए जाने के कारण धनराशि को कोषागार से आहरित कर बैंक खातों में रखी गयी है जिसका भुगतान आगामी माह में कर लिया जाएगा। अवशेष धनराशि विभिन्न योजनाओं में वापसी से संबन्धित है जिसका निस्तारण शीघ्र ही कर लिया जाएगा।

इकाई द्वारा दिये गए उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट है कि इकाई स्तर पर वित्तीय प्रावधानों की अनदेखी करते हुए शासकीय धन को कोषागार से आहरित कर उपभोगित दर्शाते हुए इकाई स्तर पर बैंक खातों में अनियमित रूप से अवरुद्ध रखा जा रहा था।

अतः रु. 204.10 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित कर अनियमित रूप से कार्यालय स्तर पर सात बैंक खातों में अवरुद्ध रखे जाने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-02- "गौरा देवी" कन्याधन योजना के अंतर्गत विभागीय स्तर पर वर्ष 2016-17 से संबन्धित 494 पात्र बालिका लाभार्थियों का ₹ 247.00 लाख की सहायता राशि से वंचित रहना।

कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा, के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2016-17 से संबन्धित अनुसूचित जाति की 494 बालिका लाभार्थियों को भुगतान की जाने वाली ₹ 247.00 लाख की धनराशि का भुगतान, उक्त योजना को समाज कल्याण विभाग से हटा कर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" के रूप में संचालित किए जाने के परिणामस्वरूप उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 की अवशेष बालिका लाभार्थियों हेतु समाज कल्याण विभाग को बजट आबंटित न किए जाने के कारण, संप्रेक्षा तिथि (जून 2018) तक नहीं किया जा सका था। जिसके परिणामस्वरूप उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से संबन्धित 494 पात्र बालिका लाभार्थी विगत दो वर्षों से उक्त योजना के अंतर्गत उनको मिलने वाले लाभ से वंचित थे।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत अवशेष लाभार्थियों हेतु निदेशालय स्तर से धनराशि की मांग की गयी है तथा शासन स्तर से वांछित बजट प्राप्तहोने पर शीघ्र ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इकाई का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप ही जिन पात्र बालिकाओं को वर्ष 2016-17 में लाभान्वित किया जाना था वे संप्रेक्षा तिथि जून 2018 तक उक्त सहायता से वंचित थीं।

अतः विभागीय स्तर पर गौरा देवी कन्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से संबन्धित 494 पात्र बालिका लाभार्थियों का ` 247.00 लाख की सहायता राशि से वंचित रहने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 ब</u>

प्रस्तर 03- मृतक/अपात्र लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराये बगैर ही ₹ 21322.15 लाख की पेंशन की धनराशि का वितरण।

भारत सरकार तथा उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करना सुनिश्चित करते हुए मृतक तथा अपात्र पेंशनरों को साफ्टवेयर से प्रथक करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा पेंशनरों का प्रत्येक दो वर्ष में थर्ड पार्टी सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे जिसे आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार का सत्यापन को प्रति वर्ष भी कराया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में ग्रामीण क्षेत्रों मे संबन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों संबन्धित लेखपाल/पटवारी द्वारा पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाएगा जिसे संबन्धित क्षेत्र के सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संकलित करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर मृतक पेंशनरों को साफ्टवेयर से पृथक करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा मे उक्त पेंशन योजना से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया वर्ष 2016-17 में विभाग द्वारा 5793 लाभार्थियों को कुल ₹ 643.15 लाख वितरित करते हुए लाभान्वित किया गया था तथा वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा 5979 लाभार्थियों को कुल ₹ 679.00 लाख वितरित करते हुए लाभान्वित किया गया था।

आगे संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि भारत सरकार तथा शासन के निर्देशों के विपरीत विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में लाभार्थियों के सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित किए बगैर ही वर्ष 2017-18 मे लाभार्थियो का चयन विगत वर्ष के आंकड़ो के आधार पर करते हुए तथा प्रति वर्ष प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर मृतक पेंशनरों को साफ्टवेयर से पृथक करने की कार्यवाही सुनिश्चित किए बगैर ही उक्त पेंशन योजना के अंतर्गत धनराशि वितरित कर दी थी तथा वर्ष 2017-18 के अंतर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों के सत्यापन की कार्यवाही लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं की गयी थी जिसे अप्रैल 2018 तक पूर्ण किया जाना था। जनपद स्तर पर वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की अवधि में 11772 लाभार्थियों को ₹ 21322.15 लाख की धनराशि बिना मृतक/अपात्र लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराये ही अनियमित रूप वितरित की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप जनपद स्तर पर मृतक/अपात्र लाभार्थियों को उक्त योजनाओं के तहत लाभान्वित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 मे वितरित धनराशि के सापेक्ष इंगित लाभार्थियों के सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आगामी वर्षों मे शासन के निर्देशों के अनुसार सत्यापन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की अवधि में 11772 लाभार्थियों को ₹ 21322.15 लाख की धनराशि मृतक/अपात्र लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराये बिना ही वितरित किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1- विभागीय शिथिलता के कारण वर्ष 2017–18 के कुल पात्र लाभार्थियों को वर्तमान तक योजना का लाभ न मिलना।

शासन द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं दिव्यांग एवं पिछडी जाति के विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के प्रति प्रेरित करने एवं शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा उक्त श्रेणी के छात्रों को प्राईमरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना संचालित की जा रही है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र–छात्रों जिनके अभिवावकों की वार्षिक आय अधिकतम रूपये 2.50 लाख तक है, को दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत होने पर ग्रुप–। के छात्रों को डे स्कालर रू 550/–हास्टल रूपये 1200/–, ग्रुप–।। के छात्रों को डे स्कालर रू 530/– हास्टलर रू 820/– ग्रुप–।।। के छात्रों को डे स्कालर रू 300/– हास्टलर रू 570/– प्रतिमाह की दर से प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा के माह तक छात्रवृत्ति के साथ–साथ अनावर्ती सहायता भी दिये जाने का प्राविधान है। तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रू 1.00 लाख तक हे दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत होने पर ग्रुप–। के छात्रों को 350/–, हास्टलर रू 750/– ग्रुप–।। के छात्रों को डे स्कालर रू 335/–, हास्टलर रूपये 510/–, ग्रुप–।।। के छात्रों को डे स्कालर रू 210/–, हास्टलर रूपये 400/– तथा ग्रुप –।V के छात्रों डे स्कालर रू 160/– हास्टलर रू 260/–प्रतिमाह की दर से प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा के माह तक छात्रवृत्ती के साथ–साथ अनावर्ती सहायता भी दिये का प्राविधान है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 95/XVII-4/2017-01(82)/2014 दिनांक 16 फरवरी 2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 से विभगीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन भारत सरकार के पोंटल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से किये जाने के संबंध में आदेश निर्गत किये गये थे कि समस्त छात्र–छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु online आवेदन दिनांक 15.02.2018 को पत्र प्रस्तुत किया जाए एव समस्त औपचारिकताओ को पूर्ण करते हुए दिनांक 31.03.2018 तक सभी पात्र छात्रों के सीबीएस खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क का स्थानान्तरण कर दिया जाना था।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा की दशमेत्तर छात्रवृति से संबधित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2017–18 के कुल अनुमानित 6342 पात्र लाभार्थियों को लेखा परीक्षा तिथि (मई 2018) तक सत्यापन का कार्य भी पूर्ण नही किया जा सका था जबकि उक्त लाभार्थियों का 31/03/2018 तक सीबीएस खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क का स्थानान्तरण कर दिया जाना था। अतः उक्त पात्र लाभार्थी निर्धारित अवधि तक योजना का लाभ प्राप्त करने से बंचित रहे।

उक्त के संबंध में इकाई को इंगित किये जाने पर इस संबंध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में आन लाइन आवेदन के भौतिक सत्यापन का कार्य गतिमान है। इकाई के उत्तर से स्वंमेव पुष्टि होती है कि विभागीय शिथिलता के कारण पात्र लाभर्थी वर्तमान तक योजना का लाभ लेने से वंचित रहे।

अतः विभागीय शिथिलता के कारण वर्ष 2017–18 के कुल पात्र लाभार्थियों वर्तमान तक योजना का लाभ न मिलने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रति. सं.	वर्ष	भाग-दो(अ)प्रस्तर सं.	भाग-दो(अ) प्रस्तर सं.	STAN प्रस्तर सं.
25	2011-12	शून्य	01, 02	शून्य
28	2014-15	शून्य	01, 02, 03	01
29	2017-18	शून्य	01,02,03,04,05	01, 02, 03
योग		शून्य	**10**	04

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि विगत लेखा परीक्षा के प्रस्तरों की अदद्यतन अनुपालन आख्या निदेशालय को प्रेषित की जाएगी। जिनके माध्यम से अनुपालन आख्या कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड देहारादून को शीघ्र प्रेषित करने की कार्यवाही की जाएगी ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	राजीव नयन	जिला समाज कल्याण अधिकारी
(ii)	जगमोहन सिंह कफोला	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजकि क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कौलागढ़-248195 उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)